

प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेश
प्राविधिक शिक्षा विभाग
संख्या—1379/प्रोफी०नि०स०/2018
लखनऊ दिनांक । 20 सितम्बर, 2018
कार्यालय आदेश

जिस किसी से सम्बंधित हो

सूचित किया जाता है कि कार्यालय आदेश संख्या-115/प्र०फी०नि०स०/2016 दिनांक 07.11.2016 द्वारा प्रवेश और फीस नियमन समिति, उ०प्र० द्वारा निर्गत मानक शुल्क वर्ष 2017-18 हेतु निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थान/निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का वर्ष 2017-18 हेतु मान्य था तथा जिन संस्थानों का शुल्क मानक शुल्क से इतर पिछले वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित किया गया था, उन संस्थाओं पर वर्ष 2019-20 तक यथा निर्धारित शुल्क ही मान्य होगा।

ऐसे संस्थान जिन्होंने 2017–18 में मानक शुल्क स्वीकार्य किया था उनका मानक शुल्क/मानक शुल्क से इतर शुल्क प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 हेतु समिति के आदेश संख्या-64/प्र०फी०नि०स०/2018 दिनांक 19 जून, 2018 (मानक शुल्क) एवं मानक शुल्क से इतर आदेश दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निर्गत किये गये हैं।

Riaz
(एफ०आर० खान)
सचिव

कार्यालय सचिव प्रवेश और फीस नियमन समिति बासमण्डी चौराहा चारबाग, लखनऊ।

ਪ੍ਰੋਸਾਰ | 379-86 / ਪ੍ਰਫੀਨਿਸ / 2018 ਲਖਨਾਡੂ ਦਿਨਾਂਕ 20 ਸਿਤੰਬਰ, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निदेशक / प्राचार्य, उ०प्र० में संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय समस्त अभियन्त्रण एवं व्यवसायिक संस्थान।
 2. कुल सचिव, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
 3. उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग—१ उ०प्र० शासन।
 4. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्प संख्यक विभाग।
 5. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
 6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
 7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
 8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(एफोआरो खान)